

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई (ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज कुमार मीणा, आर०ए०एस०  
राजस्व वाद संख्या : 144/2023  
GCMS No. : 2023/407

<p>-: वादी :- 1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर।</p>	<p>बनाम -: प्रतिवादीगण :- 1. कमलादेवी पत्नि पारसमल जाति-माली निवासी, आईजी हार्डवेयर जैतारण। 2. पारसमल पुत्र रामचन्द्र जाति-माली निवासी-आईजी हार्डवेयर जैतारण।</p>
--	---


राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत रा०वाद संख्या : 144/2023  
धारा 177 राज०काश्त०अधिनियम 1955 निर्णय व डिक्री दिनांक : 24.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी सरकार राज पैरोकार, तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा, 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होंगे एवं सारहीन होंगे से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/11/2025 को जारी किया गया ।

मोहर


  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
(जिला- ब्यावर)

मुद्दई	मुद्दायलाह
रुपये    पैसे	रुपये    पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत	महनताना वकील
महनताना वकील	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	फीस कमीशनर
फीस कमीशनर	बाबत ईजराय हुक्मनामा
बाबत ईजराय हुक्मनामा	मुत्फरिक

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।

  
24.11.25